राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

विजय सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/03/2026 को पेश हो।	
13/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23/06/2021 पारित करते हुये उभयपक्षकारान को आगामी तारीख पेशी तक विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1,2,3,33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 50/507, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 61, 7, 8, 9 कुल किता 32 कुल रकबा 24.95 हैक्टेयर वाके ग्राम बागा का बॉस प.ह. आलीसर तह. चौमू, जिला जयपुर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पर्दा किये गये, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15/10/2025 पारित करते हुये पूर्व में पारित आदेश दिनांक 23/06/2021 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि मूल प्रकरण विभाजन का है, ऐसेमें विभाजन से पूर्व यदि विवादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन होकर उसके कृषि स्वरूप को अकृषि में परिवर्तित कर दिया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होना सम्भव है, जिसे रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है। अपील के स्तर पर भी अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/10/2025 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर